न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 70/2021

1 मुन्नी देवी पत्नी भरत सिंह
2 धर्मवीर पुत्र भरत सिंह
3 प्रियंका पुत्री भरत सिंह
समस्त आयु व्यस्क जातिगण जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 शुभकरण पुत्र स्व. सालगराम पुत्र सांवल
2 मनभरी देवी पत्नी स्व. सालगराम पुत्र सांवल
3 कौशल्या देवी पुत्री स्व. सालगराम पुत्र सांवल
4 निर्मला देवी पुत्री स्व. सालगराम पुत्र सांवल
5 प्रमोद देवी पुत्री स्व. सालगराम पुत्र सांवल
6 सायरा देवी पुत्री स्व. सालगराम पुत्र सांवल
7 औमप्रकाश पुत्र सांवल
8 रामसिंह दत्तक पुत्र रामस्वरूप
9 शारदा पत्नी स्व. दयानन्द पुत्र सांवल
10 धमेन्द्र पुत्र स्व. दयानन्द पुत्र सांवल
11 कल्पना पुत्री स्व. दयानन्द पुत्र सांवल
12 रामेश्वर पुत्र बजरंगलाल
13 रामनिवास पुत्र बजरंगलाल
14 बेदो पुत्री बजरंगलाल
15 उम्मेद पुत्र मालाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

16 मनरूप पुत्र मालाराम
17 श्रीचन्द पुत्र मालाराम
18 निर्मला पत्नी कमलेश
19 सचिन पुत्र कमलेश
20 पूर्णसिंह पुत्र लिछमणराम
21 जुगलाल पुत्र ईसर
22 वेदकौर पत्नी गोवरधनसिंह
23 विजेन्द्र पुत्र गोवरधनसिंह
24 सुनील पुत्र गोवरधनसिंह
25 विजय कुमार पुत्र सत्यवीर
26 सुरेश पुत्र मालाराम
27 मंजू पुत्री गोर्वधन
28 सुबेसिंह पुत्र बजरंगलाल
29 बरजी पत्नी जुहार सिंह
30 सतीशचन्द्र पुत्र मालाराम
31 रामोवतार पुत्र भगवानाराम
32 राकेश पुत्र भगवानाराम
33 महीपाल पुत्र भगवानाराम
34 बुटीराम पुत्र भगवानाराम
35 इन्द्रमणी पुत्री भगवानाराम
36 परमेश्वरी पुत्री भगवानाराम
37 रूकमणी पुत्री भगवानाराम
38 बोगा देवी पत्नी अमीचन्द उर्फ नेमीचन्द
39 राजू पुत्र अमीचन्द उर्फ नेमीचन्द
40 सुनीता पुत्री अमीचन्द उर्फ नेमीचन्द
41 लिछमा पत्नी स्व. जगदीश
42 नरेन्द्र पुत्र स्व. जगदीश
43 जयप्रकाश पुत्र स्व. जगदीश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

44 शिशपाल पुत्र हनुमान
45 सुखदेव पुत्र हनुमान
समस्त आयु व्यस्क जातिगण जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
46 अनिता देवी पत्नी रणवीर सिंह जाति जाट निवासी 284 कबा मोहल्ला गली, मेघवाल बस्ती साउथ बेस दिल्ली।
47 सुभा ा पुत्र फूलाराम
48 प्रभु पुत्र हनुमान
जातिगण जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
49 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक ााखा अरड़ावता जरिये ााखा प्रबंधक।
50 झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, ााखा सुलताना जरिये ााखा प्रबंधक।
51 ओरियन्अल बैंक ऑफ कॉमर्स ााखा चिड़ावा जरिये ााखा प्रबन्धक।
52 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय चिड़ावा
मुकदमा उनवानी ुभकरण बनाम सुबेसिंह
वगेरह मुकदमा नम्बर 64/2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मनोज बजाज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह बोरान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2020 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणात्मक दुरूस्ती व विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 104, 105, 123, 124, 148, 149, 171, 187, 188, 189, 19, 204, 216, 217, 222, 227, 228, 23, 406, 417, 418, 448, 468, 469, 473, 474, 475, 476, 477, 537, 540, 541, 567, 568, 569, 583, 584, 593/228, 185, 186, 235, 236 वाके ग्राम जोधा का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.07.2020 को आदेश पारित किया गया कि तलबी प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर प्रस्तुत तलबाने पर जरिये नोटिस नकल दावा भेजकर की जावे, मिसल वास्ते तलबी हेतु दिनांक 27.08.2020 को पेश हो। उक्त आदेश के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा दावा के प्रतिवादीगण को

... अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

समन जारी कर उक्त दावा में विधिवत रूप से तामील होने के पश्चात प्रतिवादीगण का जवाब दावा या सभी प्रतिवादीगण की सहमति लेकर या तनकियात कायम करते हुये साक्ष्य के पश्चात प्रारम्भिक डिक्री जारी करनी चाहिये थी, किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त दिनांक 23.07.2020 के पश्चात आगामी पेशियों दिनांक 27.07.2020 अवैध रूप से नियत करते हुये पत्रावली पर आगामी पेशी दिनांक 07.09.2020 नियत की। इसके पश्चात दिनांक 14.09.2020 इसके पश्चात दिनांक 18.09.2020 इसके पश्चात दिनांक 12.10.2020, 17.11.2020, 24.11.2020 नियत की गई। किन्तु उक्त पेशियों पर किसी भी प्रकार के कोई सम्मन दावा के प्रतिवादीगण को जारी नहीं किये गये। बिना समन जारी किये ही विचारण न्यायालयय ने प्रतिवादी नम्बर 1 के अधिवक्ता की सहमति से अवैध रूप से प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी सूचना प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 28 को नहीं थी। इस प्रकार से विचारण न्यायालय द्वारा बिना नोटिस के विधिवत प्रकिया के खिलाफ जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की गई जो कानूनन गलत है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.12.2020 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में तहसीलदार चिड़ावा को आदेश जारी किया कि तहसीलदार चिड़ावा वादग्रस्त भूमि के मौके पर जाकर समस्त पक्षकारान को सूचित किया जाकर समस्त पक्षकारान की मौजूदगी में मौके, कब्जे व राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। उक्त आदेश के अनुसरण में तहसीलदार चिड़ावा को स्वयं को विवादग्रस्त भूमि पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है परन्तु तहसीलदार चिड़ावा ने उक्त आदेश दिनांक 02.12.2020 के अनुसरण में बिना मौके पर गये ही हल्का पटवारी नारी को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया और उक्त तहसीलदार चिड़ावा के आदेश के अनुसरण में हल्का पटवारी ने वादग्रस्त भूमि पर जाकर केवल प्रतिवादीगण को न्यायालय आदेश की सूचना प्राप्त करने के हस्ताक्षर खाली दस्तावेजों पर करवाये जाकर प्रतिवादीगण को पटवारी हल्का ने सूचित किया कि प्रतिवादीगण पटवार घर आकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा ले

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अन्यथा वह वादीगण की सुविधानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। विचारण न्यायालय ने विभाजन तैयार करने का तहसीलदार चिड़ावा को आदेश दिया, किन्तु तहसीलदार चिड़ावा वादग्रस्त भूमि पर बिना गये ही हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तत किया जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.06.2021 को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर भी बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किये ही सरसरी तौर पर ही अपीलान्ट की आपत्ति खारिज कर दी। इस प्रकार भी विचारण न्यायालय ने बिना न्यायिक विवेक के पारित अंतिम डिक्री दिनांक 13.08.2021 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.06.2021 की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। दिनांक 10.08.2021 की आदेशिका में अपीलांट की ओर से गिरधारी सैनी अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2020 को पारित की गई है। इस प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अंतिम डिक्री दिनांक 13.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध विचारण न्यायालय में दिनांक 22.06.2021 को अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.06.2021 की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। दिनांक 10.08.2021 की आदेशिका में अपीलांट की ओर से गिरधारी सैनी अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2020 को पारित की गई है। इस प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अंतिम डिक्री दिनांक 13.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध विचारण न्यायालय में दिनांक 22.06.2021 को अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी (कैम्प झुन्झुनूँ)
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर